

सं०सा०: ६७-१३०/एसआईडीसी/पीएम/फंसिलिटीज

दिनांक २०-०६-२०१७

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के निदेशक मण्डल की 295वीं बैठक दिनांक 29.05.2017 के निर्णयानुसार निगम द्वारा नव विकसित/विकासधीन औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन/भूमि आरक्षित करने हेतु पूर्व कार्यालय आदेश संख्या 414-464/एसआईडीसी/पीएम/कॉरिडोर सेल/फंसिलिटीज दिनांक 16.11.2009 के द्वारा निर्धारित नीति को आंशिक संशोधित करते हुये निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है-

क्र०सं०	अवस्थापना सुविधा	नीति
1.	फायर स्टेशन	1000 से 4148 वर्ग मीटर तक भूमि निःशुल्क तथा 4148 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की मांग के आकलन के आधार पर औद्योगिक दर पर आवंटन। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा विकसित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की लागत गणना में अग्निशमन केन्द्र की मांग एवं आवश्यकतानुसार पूर्व में स्वीकृत भवन निर्माण इत्यादि के मद में रु० 217 लाख के स्थान पर शासनादेश संख्या 1285/छ-पु-8-2016-801 (69)-2015 दिनांक 08.07.2016 के अनुसार अधिकतम रु० 321.91 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जाये।

निदेशक मण्डल के उक्त निर्णय को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जाये।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक 01

दिनांक २०-०६-२०१७

सं०सा० ६७-१३०/एसआईडीसी/पीएम/फंसिलिटीज

प्रतिनिधि निम्न का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. क्षेत्रीय सहायक, प्रबंध निदेशक केंद्र, ३०प्र०सा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त अनुभाष्यता, ३०प्र०सा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परिसंयोजन अधिकारी, ३०प्र०सा०३००वि०नि०लि०,
4. समस्त अधिशासी अभियंता, ३०प्र०सा०३००वि०नि०लि०,
5. गार्ड फाइल।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक 01